

## फर्द अहकाम

कार्यालय:-

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

अनवान:-

महेन्द्र कुंवर बनाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस

किस्म मुकदमा:- प्रा. पत्र सरफैसी (रिव्यु) पत्रावली संख्या-155/22

सन:- 2024

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई। |
|---------|-----------------|--|
|---------|-----------------|--|

14/05/2024

पत्रावली प्रार्थी के रिव्यु प्रार्थना पत्र पर सिगाह से पेश हुई। प्रार्थी के विरुद्ध दीवान हाउसिंग फाईनेंस (पीरामल केपिटल एण्ड हाउसिंग फाईनेंस) जिसकी शाखा 302/5 तृतीय तल, जयपुर टावर, एम आई रोड, जयपुर राजस्थान में स्थित एवं कार्यरत है के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तक अधिनियम 2002 के तहत बंधक सम्पतियों का कब्जा पुलिस के द्वारा फाईनेन्स कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश न्यायालय के प्रकरण संख्या 52/22 सरफैसी एक्ट दिनांक 05.04.2022 को दिये गये थे। जिसमें पारित आदेश को रिव्यु फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र वास्ते पुनरीक्षण आदेश दिनांक 05.04.2022 अन्तर्गत आदेश रिकॉल बाबत प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकी प्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुंवर के विरुद्ध दीवान हाउसिंग फाईनेंस (पीरामल केपिटल एण्ड हाउसिंग फाईनेंस) के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत आदेश पारित किया गया हैं उक्त एक्ट में ऋणी को न्यायालय द्वारा सुना नहीं जाता है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में ऋणी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। यदि ऋणी प्रार्थी न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 05.04.2022 से क्षुब्ध है तो वह डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्युनल जयपुर मे अपील प्रस्तुत कर सकता हैं। परन्तु सरफैसी एक्ट में रिव्यु के प्रावधान नहीं होने से ऋणी प्रार्थी का रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

ऋणी प्रार्थी सुचित हों। मुल पत्रावली पुनः रेकार्ड पर रखी जावें।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
उदयपुर